न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

असीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
नस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 192/2023
CMS NO. : 2023/198

–: प्रार्थिया :–
01. सोहनी पत्नी हड़मानराम
जाति– मेघवाल, निवासी–नंदीपुरा जसनगर, तहसील– रियांबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

–: अप्रार्थी :–
1. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय– जैतारण, जिला– ब्यावर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 22/06/2023

स्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थिया।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 28/08/2024

वकील मय प्रार्थिया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी/तहसीलदार इस आशय पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा गुडा हेमड़ाई पटवार हल्का सेवरिया भू भिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास मे प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरा नम्बर 1717/1616 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई उपरोक्त वर्णित आराजी पर एक मात्र मालिकाना हक प्रार्थिया का है तथा प्रार्थिया ही आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। नकल जमाबनदी निापत्र के साथ पेशा है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थिया उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1717/1616 जो कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थिया की उपरोक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी की राजी खसरा नम्बर 1616 रकबा 31.9054 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई है। उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी की आराजी है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी की आराजी कानूनन बंटवाडा एवं तरमीम हो रखा है राजसव रेकर्ड मे यह जमीने अलग अलग परन्तु अप्रार्थी ने बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थिया की आराजी मे अपना हक ाना शुरू कर दिया और बिना प्रार्थिया को बताये ही अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयो प्रार्थिया की आराजी की सीमा को लेकर विवाद शुरू कर दिया एवं प्रार्थिया की राजी जो कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर अलग बंटी हुई है फिर भी अप्रार्थी नबुझकर प्रार्थिया को तंग व परेशान करने की नियत से सीमा को लेकर विवाद करना कर दिया एवं प्रार्थिया को आये दिन यह धमकीया दी जा रही है कि उसके पास क०र्ड मे इन्द्राज हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा है जबकि प्रार्थिया ने अप्रार्थी को वेदन किया कि वह चाहे तो अपने अधीनस्थ हल्का पटवारी से आराजी का नापचौप रवा सकते है परन्तु अप्रार्थी ऐसा नहीं कर रहे है और बेवजह आये दिन सीमा को कर विवाद कर रहे है। प्रार्थिया अपनी आराजी पर कानूनी रूप से काबिज है और

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

के पर प्रार्थिया के पास रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन नहीं है लेकिन फिर भी अप्रार्थी को शा है कि प्रार्थिया उसकी जमीन पर काबिज है जबकि प्रार्थिया राजस्व रेकर्ड के सार अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन फिर भी र्थी बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थिया के मालिकाना हक की आराजी मे विवाद कर रहे है जबकि प्रार्थिया की जमीन का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के ाडा हो रखा है रेकर्ड मे अलग से तरमीम है और मौके पर भी प्रार्थिया की आराजी अपने हक हिस्से अनुसार चारो तरफ मांठे कायम है खन्दक लगी हुई है जिसको र्थी आये दिन दखलन्दाजी करते हुए मांठ तोडकर विवाद खडा कर रहे है जबकि र्थी को प्रार्थिया की आराजी की मांठ तोडने खन्दक बिखेरने का कोई हक अधिकार है फिर भी जबरदस्ती सीमा विवाद कर रहे है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से कई बार दन किया कि वह चाहे तो उपरोक्त वर्णित आराजी का नापचौप कर सीमाज्ञान करवा ते है लेकिन अप्रार्धी न तो नाचौप कर रहे है और जानबुझकर सीमा विवाद कर रहे इसलिए प्रार्थिया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् समक्ष प्रस्तुत है। दिनांक 02/06/2023 को अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर ये और प्रार्थिया के साथ सीमा को लेकर विवाद करने लगे तब प्रार्थिया ने निवेदन या कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की आराजी का नापचौप कर लिया जावे परन्तु र्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारी नहीं माने और सीमा विवाद करने लगे यदि अप्रार्थी ने पद का दुरूपयोग करते हुए जबरदस्ती प्रार्थिया की खन्दक बिखेरते है या उनके की मांठो को तोडफोड कर खूर्द बुर्द कर देते है या उनकी कृषि भूमि में काश्त नहीं ने देते है तो प्रार्थिया अपने साम्पतिक हक अधिकारो से महरूम हो जायेगी अप्रार्थी प्रार्थिया की तरमीम सुदा भूमि मे किसी तरह की दखलन्दाजी करने का हक धिकार नहीं है परन्तु फिर भी अप्रार्थी जानबुझकर प्रार्थिया को तंग व परेशान करने एवं न परेशान करने की मंशा से सीमा विवाद कर रहे है प्रार्थिया जो कि न्यायप्रिय ेला है इसलिए उसके पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् माज्ञान करवाने का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी जो कि हद मौजा गुडा हेमडाई में स्थित है और ग्राम गुडा हेमडाई मे स्थित होने से उपरोक्त त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त होने से उक्त र्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा गुडा हेमडाई में स्थित प्रार्थिया की कृषि मे खसरा नम्बर 1717/1616 एवं अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1616 का म्पूर्ण सीमाज्ञान राजस्व टीम गठित कर प्रार्थिया की उपस्थिति मे किया जावे एवं माज्ञान की फर्द तैयार करवाई जावे एवं फर्द तैयार कर जरिये पुलिस इमदाद उसकी लना करवाई जावे और अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि सीमाज्ञान के पश्चात किसी ह का विवाद नहीं करे एवं प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण को रिए सम्मन वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र तलब किया।

अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो ामिल मिसल है। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र में कथन किया है कि स्व रेकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला ग्राम गुड़ा हेमड़ाई सम्वत् 2077 के खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 1717/1616 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सोहनी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (पाली)

ी हड़मानराम कौम मेघवाल सा. नंदीपुरा जसनगर के नाम की खातेदारी भूमि है। नापत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 अस्वीकार है तथा बिन्दु संख्या 4 से 6 कानूनी बिन्दु बिन्दु संख्या 7 श्रीमानजी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबधित है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थिया व कारी पैरोकार की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार ोचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ा हेमड़ाई, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1717/161 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है।
2. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा भू अभिलेख में अलग से तरमीम है।
3. प्रार्थिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1717/161 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के पास ही अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1616 रकबा 31.9054 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का न्यायालय हाजा से नापचौप कर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया है।
4. अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला ग्राम गुड़ा हेमड़ाई सम्वत् 2077 के खाता संख्या 52 में खसरा नम्बर 1717/1616 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सोहनी पत्नी हड़मानराम कौम मेघवाल सा. नंदीपुरा जसनगर के नाम की खातेदारी भूमि है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि द मौजा गुड़ा हेमड़ाई मे प्रार्थिया की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरा नम्बर 1717/161 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है। जस पर प्रार्थिया एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी के ीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हेतु आदेश किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी की आराजी प्रार्थिया की आराजी के साथ सीमा बनाती है। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा- 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 128 स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया अंतर्गत 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद ा गुड़ा हेमड़ाई, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में स्थित र्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 17/161 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, जिसमें प्रार्थिया एकमात्र बेज खातेदार काश्तकार है, उस खसरा नम्बर का तथा इससे लगते खसरान् के तेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित क्या का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थिया हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित वें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित र संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

र्णय आज दिनाँक 28/08/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)